

8. इटावा	7
9. मैनपुरी	5
10. इलाहाबाद	कोई नहीं
11. मिर्जापुर	4
12. आजमगढ़	7
13. बलिया	10
14. फैजाबाद	14
15. जौनपुर	9
16. कानपुर	19
17. उन्नाव	2
18. फतेहपुर	5
19. लखनऊ	कोई नहीं
20. बाराबंकी	14
21. गोंडा	5
22. बहराइच	10
23. बस्ती	6
24. सीतापुर	18
25. हरदोई	4
26. खेड़ी	4
27. वाराणसी	3
28. गाजीपुर	4
29. अलीगढ़	12
30. बुलन्दशहर	11
31. अल्मोड़ा	16
32. पिथौरागढ़	9
33. बरेली	2
34. बदायूं	6
35. शाहजहांपुर	4
36. देहरादून	4
37. टिहरी	3
38. उत्तरकाशी	1
39. झांसी	8
40. हमीरपुर	1
41. जालौन	7
42. बांदा	1
43. मधुरा	4
44. एटा	8

45. मुरादाबाद	7
46. रामपुर	4
47. बिजनौर	11
48. नैनीताल	4
49. पीलीभीत	2
50. पौड़ी	12
51. चमौली	6
52. प्रतापगढ़	6
53. राय बरेली	10
54. सुल्तानपुर	6

(ख) 1970-71 के दौरान उत्तर प्रदेश में खिलावार खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे डाकघरों की संख्या जिनमें 1-2-70 को तार सुविधायें मौजूद हैं 1,146 उत्तर प्रदेश में ऐसे डाकघरों की संख्या जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तार भेजने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ... 595

रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य

4832. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिया है और यदि नहीं, तो इस बारे में किस तारीख तक घोषणा कर दी जायेगी ;

(ख) क्या उक्त मूल्य निर्धारित करते समय किसानों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया गया है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु अन्य वस्तुओं के तुलनात्मक बाजार भावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) सरकार विपणन मौसम 1970-71 के लिए गेहूँ के अधिप्राप्ति मूल्यों पर विचार कर रही है और बहुत जल्द निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) और (ग). कृषि मूल्य आयोग मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय सभी संगत तथ्यों पर जिन में अन्य खाद्यान्नों के मूल्य भी शामिल है, विचार करता है। आयोग को परामर्श देने के लिए किसानों का एक पैनल भी है।

संचार विभाग में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना

4833. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग ने अपनी सेवाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु कुछ विशेष कार्यवाही की है ;

(ख) विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी को शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) विभागीय परीक्षा के लिये जिन पुस्तकों की आवश्यकता होती है उनके हिन्दी संस्करणों के प्रकाशन में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राजभाषा अधिनियम और गृह मंत्रालय के अनुदेशों में दिये गये प्रावधानों का विभाग में कार्यान्वयन किया जा रहा है। कर्मचारियों से भी यह निवेदन किया गया है कि वे जहाँ तक हो सके हिन्दी में कामकाज करें।

(ख) इस प्रश्न पर गृह मंत्रालय में जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदेशों को डाक-तार विभाग में कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) विभागीय परीक्षा में जिन मैन्युअलों की आवश्यकता पड़ती है उनके हिन्दी संस्करणों

को जल्द प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं, चार खण्ड प्रेस में हैं और बाकी मैन्युअलों के अनुवाद और जांच का कार्य भिन्न भिन्न स्तर पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व तार सुविधाओं का विस्तार

4834. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक, तार व टेलीफोन सेवाओं के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांवों में इन सुविधाओं के विस्तार के बारे में उदासीनता दिखाते हैं और बड़े गांवों के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टें देते हैं और इस प्रकार कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक सेवा—देहाती इलाकों में डाक सेवाओं का विस्तार हाल में, कुछ मानकों के आधार पर किया जाता है। इनका उल्लेख सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा दिया गया। देखिये संख्या LT—3064/70] इन मानकों के आधार पर खोले गए डाकघरों में भविष्य में भी डाकघर खोलते समय आने वाली लागत का 25 प्रतिशत आय के रूप में अर्जित करना होगा। ऐसे गांवों में, जो ग्रामपंचायतों के मुख्यालय हों, डाकघर खोलने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

राज्य मंत्री महोदय ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि ग्राम पंचायतों को अपने इलाके में प्रायोगिक डाकघर खोलने में होने वाले खर्च की पूर्ति करने